

# कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

क्रमांक/सहायता/बाढ़/मरम्मत/2025-26/1626

दिनांक : 06/11/25

## प्रशासनिक स्वीकृति

शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक एफ. 8(37)आ.प्र. एवं सहा. / बाढ़ / प्रस्ताव / 2025 / RAJKAJ REF NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा जिला जयपुर में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त चिकित्सा भवनों हेतु तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनरुत्थान हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 120/2025-26 में 106 कार्य राशि रु. 184.40 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी, पूर्व स्वीकृति को अतिक्रमित की जाकर पत्रांक RAJKAJ REF NO. 18514629 दिनांक 29.10.2025 द्वारा संशोधित स्वीकृति 32 मरम्मत कार्य राशि रु. 59.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, के अनुसरण में जिला जयपुर के खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जोबनेर, मौजमाबाद, फागी, माधोराजपुरा, झोटवाडा, जालसू/रामपुरा डाबडी, किशनगढ रेनवाल, गोविन्दगढ के प्रस्तावित मरम्मत कार्य की उपखण्ड स्तरीय कमेटी की अभिशंषा अनुसार नीचे अंकित मरम्मत कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। विवरण इस प्रकार है : -

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, जोबनेर  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जोबनेर

| क्र. सं. | तहसील  | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/<br>स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|----------|--------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1        | जोबनेर | प्रा0 स्वा0 केन्द्र बोबास                    | 2.00                |
| 2        | जोबनेर | प्रा0 स्वा0 केन्द्र हिंगोनिया                | 2.00                |
| 3        | जोबनेर | प्रा0 स्वा0 केन्द्र भैसावा                   | 2.00                |
| 4        | जोबनेर | प्रा0 स्वा0 केन्द्र करणसर                    | 2.00                |
|          |        | <b>योग</b>                                   | <b>8.00</b>         |

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, मौजमाबाद  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मौजमाबाद

| क्र. सं. | तहसील    | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/<br>स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|----------|----------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1        | मौजमाबाद | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सेवा              | 2.00                |
| 2        | मौजमाबाद | सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मौजमाबाद         | 2.00                |
| 3        | मौजमाबाद | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झाग               | 2.00                |
| 4        | मौजमाबाद | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गाडोता            | 2.00                |
|          |          | <b>योग</b>                                   | <b>8.00</b>         |

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, फागी  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी

| क्र. सं. | तहसील | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|----------|-------|------------------------------------------|---------------------|
| 1        | फागी  | सीएचसी मण्डावरी                          | 1.00                |

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.11.06 12:23:19 IST  
Reason: Approved



# कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

|   |      |               |             |
|---|------|---------------|-------------|
| 2 | फागी | सीएचसी चौरु   | 1.00        |
| 3 | फागी | पीएचसी मण्डोर | 1.00        |
|   |      | <b>योग</b>    | <b>3.00</b> |

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, माधोराजपुरा  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माधोराजपुरा

| क्र.सं. | तहसील       | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/ स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|---------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
| 1       | माधोराजपुरा | समु.स्वा.केन्द्र माधोराजपुरा              | 2.00                |
| 2       | माधोराजपुरा | समु.स्वा.केन्द्र रेनवाल मांझी             | 2.00                |
| 3       | माधोराजपुरा | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाबिच          | 2.00                |
| 4       | माधोराजपुरा | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चितौडा         | 1.00                |
| 5       | माधोराजपुरा | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डिडावता        | 1.00                |
|         |             | <b>योग</b>                                | <b>8.00</b>         |

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, झोटवाडा  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झोटवाडा

| क्र.सं. | तहसील | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|---------|-------|------------------------------------------|---------------------|
| 1       | जयपुर | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेगस          | 2.00                |
| 2       | जयपुर | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निमेडा        | 2.00                |
| 3       | जयपुर | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पचार          | 2.00                |
| 4       | जयपुर | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिवार         | 2.00                |
| 5       | जयपुर | प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिन्दायका     | 2.00                |
|         |       | <b>योग</b>                               | <b>10.00</b>        |

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, जालसू  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड जालसू/रामपुरा डाबडी

| क्र.सं. | तहसील         | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|---------|---------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1       | जालसू         | PHC GUDASURJAN                           | 2.00                |
| 2       | रामपुरा डाबडी | PHC JAHOTA                               | 2.00                |
|         |               | <b>योग</b>                               | <b>4.00</b>         |

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, कि० रेनवाल  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ रेनवाल

| क्र.सं. | तहसील      | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|---------|------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1       | कि० रेनवाल | सीएचसी बधाल                              | 2.00                |
| 2       | कि० रेनवाल | पीएचसी भादवा                             | 2.00                |

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.11.07 12:23:19 IST  
Reason: Approved

# कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

|     |            |                      |      |
|-----|------------|----------------------|------|
| 3   | कि० रेनवाल | पीएचसी भैसलाना       | 2.00 |
| 4   | कि० रेनवाल | पीएचसी मण्डा भीमसिंह | 2.00 |
| योग |            |                      | 8.00 |

कार्यकारी अभिकरण : विकास अधिकारी पंचायत समिति, गोविन्दगढ़  
खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोविन्दगढ़

| क्र.सं. | तहसील | क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का नाम/स्थान का नाम | राशि<br>(लाखों में) |
|---------|-------|------------------------------------------|---------------------|
| 1       | चौमूं | प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र नांगल भरडा        | 2.00                |
| 2       | चौमूं | प्रा.स्वास्थ्य केन्द्र अणतपुरा - जैतपुरा | 2.00                |
| 3       | चौमूं | सीएचसी हस्तेडा                           | 2.00                |
| 4       | चौमूं | सीएचसी कालाडेरा                          | 2.00                |
| 5       | चौमूं | पीएचसी किशनमानपुरा                       | 2.00                |
| योग     |       |                                          | 10.00               |

## गोश्वारा

| क्र. सं.   | विवरण                                                 | मरम्मत कार्य की संख्या | राशि<br>(लाखों में) |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जोबनेर                   | 4                      | 8.00                |
| 2          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मौजमाबाद                 | 4                      | 8.00                |
| 3          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी                     | 3                      | 3.00                |
| 4          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माधोराजपुरा              | 5                      | 8.00                |
| 5          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झोटवाडा                  | 5                      | 10.00               |
| 6          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड जालसू/रामपुरा डाबडी | 2                      | 4.00                |
| 7          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, किशनगढ़ रेनवाल           | 4                      | 8.00                |
| 8          | खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोविन्दगढ़               | 5                      | 10.00               |
| सर्व योग:- |                                                       | 32                     | 59.00               |

उक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निम्नलिखित बजट मद से किया जावेगा :-

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

02 - बाढ़, चक्रवात आदि

107 - खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना

(02) - बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत

[01] - [बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत]

21 - अनुरक्षण एवं मरम्मत (मेन्टीनेन्स) प्रतिबद्ध (केन्द्रीय सहायता 75% एवं राज्य निधि 25%)

उपरोक्त मरम्मत कार्य निम्न शर्तों के अधीन शर्तों के अधीन करवाये जावेंगे।

- उपरोक्त मरम्मत कार्य आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के दिशा-निर्देश क्रमांक RAJKAJ REF NO. 16877134 दिनांक 30.07.2025 एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति RAJKAJ REF

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.11.07 12:23:19 IST  
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
www.jaipur.nic.in

NO. 18048007 दिनांक 29.09.2025 द्वारा स्वीकृत 106 कार्य राशि रु. 184.40 लाख के स्थान पर संशोधित पत्रांक RAJKAJ REF NO. 18514629 दिनांक 29.10.2025 के द्वारा कुल 32 कार्य राशि रु. 59.00 लाख के स्वीकृत कर शेष कार्य निरस्त कर दिये गए हैं, अतः प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 29.09.2025 में अंकित शर्तों एवं राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तथा इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार करवाये जावेंगे।

- वे कार्य जो Defect Liability Period के तहत आते हैं उनकी मरम्मत राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से देय नहीं होगी।
- कार्यकारी अभिकरण की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि वे एसडीआरएफ मापदण्डों के अनुसार अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपकी पूर्णतः जिम्मेदारी होगी।
- ये सभी कार्य प्रारम्भ किए जाने की तिथि से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में ही पूर्ण कराने होंगे। निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा जारी कोष से मरम्मत कराये जाने संभव नहीं होंगे, कार्यकारी विभाग द्वारा विभागीय बजट से पूर्ण कराये जावेंगे।
- प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत करवाये गये कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही करवाया जावेगा, इसका प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा।
- कार्यकारी अभिकरण उक्त कार्यों के तकमीना तथा तकमीना स्वीकृति के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर भिजवाना सुनिश्चित करेंगे कि **उनके पास राज्य बजट मद अनुरक्षण एवं सामग्री मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 में राशि उपलब्ध नहीं है तथा उक्त मद में राशि उपलब्ध होने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद से राशि का आवंटन नहीं किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में राशि अवशेष रहने पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) मद को अवशेष राशि पुनर्भरण कर दी जावेगी।**
- स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावे।
- उक्त राशि का व्यय एसडीआरएफ नोर्म्स में अनुमत राजकीय भवनों के लिए ही किया जावे।
- कार्यकारी अभिकरण बिना वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यारम्भ नहीं करेंगे, अगर कार्यारम्भ किया जाता है, तो कार्यकारी विभाग के बजट मद से मरम्मत राशि वहन की जावेगी। समयावधि में उपयोग न हो सकने वाली राशि बिना किसी विलम्ब से समर्पित की जावे।
- उपरोक्त मरम्मत कार्यों के तकमीना/तकनीकी स्वीकृति कार्यकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने के उपरान्त ही इस कार्यालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी।
- उपरोक्त मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु संबंधित उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/सहायक अभियन्ता, सा.नि. विभाग, मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की सुनिश्चितता बनाए रखने हेतु समय-समय पर निरीक्षण करें तथा उपखण्ड स्तरीय समिति निर्धारित अवधि में कार्यपूर्णता का निर्धारित पूर्ण प्रमाण पत्र प्रेषित करेगी।
- अंकित कार्यों पर व्यय का अंकेक्षण होने पर अंकेक्षण कराने, आक्षेप अनुपालना पूर्ण कराने की जिम्मेदारी कार्यकारी अभिकरण की होगी।
- उक्त प्रशासनिक स्वीकृति में स्वीकृत कार्यों में से यदि मरम्मत कार्य विभागीय बजट मद से पूर्ण करवा लिये गये हैं, तो उन कार्यों की तकनीकी स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.11.01 12:23:19 IST  
Reason: Approved

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
www.jaipur.nic.in

14. जिन चिकित्सा भवनों को अनुपयोगी/जर्जर चिन्हित किया गया है, ऐसे चिकित्सा भवन यदि प्रस्तावों में हैं तो उनके लिए स्वीकृत राशि का व्यय नहीं किया जावेगा तथा ऐसे कार्यों की तकनीकी स्वीकृति भी किसी भी स्थिति में जारी नहीं की जावे तथा इस कार्यालय को ऐसे भवनों की सूची पृथक से प्रस्तुत करने का दायित्व कार्यकारी अभिकरण का होगा।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला कलेक्टर,  
जयपुर

दिनांक : 06/11/25

क्रमांक/सम/1627

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. फुलेरा/दूदू/फागी/चाकसू/शाहपुरा।
4. उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर/मौजमाबाद/फागी/माधोराजपुरा/जयपुर/रामपुरा डाबडी/किशनगढ़ रेनवाल/चौमू।
5. तहसीलदार, जोबनेर/मौजमाबाद/फागी/माधोराजपुरा/जयपुर/जालसू/रामपुरा डाबडी/किशनगढ़ रेनवाल/चौमू।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जोबनेर/मौजमाबाद/फागी/माधोराजपुरा/झोटवाडा/जालसू/किशनगढ़ रेनवाल/गोविन्दगढ़।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जोबनेर/मौजमाबाद/फागी/माधोराजपुरा/झोटवाडा/जालसू/किशनगढ़ रेनवाल/गोविन्दगढ़।
8. गार्ड फ़ावली।

जिला कलेक्टर,  
जयपुर

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni  
Designation : Collector & District  
Magistrate  
Date: 2025.11.06 12:23:19 IST  
Reason: Approved